राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 1758 / SEIAA/2022
Date: 29-9-22

प्रति,

निदेशक
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय,
पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03,
रवि शंकर नगर, भोपाल – 462016(म.प्र.)

विषयः **प्रकरण क्रमांक 79/2008 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ए.सी.सी. लि. कैमोर सीमेंट वर्क्स, पो.आ. कैमोर, जिला कटनी (म.प्र) द्वारा बदरी लाईम स्टोन माईन (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50,000 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 81, 86, रकबा 5.82 हेक्टेयर, ग्राम बडारी, विजयराघौगढ़, जिला कटनी (म. प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत।**

संदर्भः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (**CZ**) के द्वारा अपील प्रकरण क्र. 09/2022 में पारित आदेश दिनांक 08.09.2022 **(संलग्न)**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 748वीं बैठक दिनांक 22.09.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया ....

*माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (**CZ**) के द्वारा अपील प्रकरण क्र. 09/2022 में पारित आदेश दिनांक 08.09.2022 के परिपालन में प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं परामर्श उपरांत MP-SEIAA में पंजीबद्ध प्रकरण क्र. 79/2008 के संबंध में प्रकरण में निम्नानुसार परिपालन कार्यवाही निर्णित की गई* **:-**

1. *प्रकरण हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 25.03.2009 एवं पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरित पत्र दिनांक 23.02.2018 हेतु जारी Revoke पत्र क्र. 2654 दिनांक 19.12.2021 को निरस्त किया जाता है, तथा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति एवं पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण के में निहित समस्त शर्तो यथावत रहेंगी एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तो का परिपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक एवं समस्त संबंधितों को पत्र के माध्यम से सूचित किया जाये।*
2. *माननीय एनजीटी द्वारा आदेशित कार्यवाही के परिपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, MoEF&CC भोपाल को आदेश की प्रति प्रेषित करते हुए प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक (M/s ACC Pvt. Ltd) द्वारा वर्ष 2009 से 2018 तक बिना पर्यावरण स्वीकृति के किये गये उत्खन्न कार्यो से हुई पर्यावरण क्षति का आकलन करवाया जाये।*
3. *परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण दिनांक 23.02.2018 के उपरांत प्रस्तुत छमाही अनुपालन प्रतिवेदनों के आधार पर किये गये कार्यो का स्थल निरीक्षण करवाए जाने एवं यदि पर्यावरण स्वीकृति में निहित शर्तो का उलंघन किया गया है तो पर्यावरणीय क्षति का आंकलन कर SEIAA कार्यालय को अवगत कराये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय,* MoEF&CC *भोपाल को पत्र के माध्यम से सूचित किया जाये।*

उपरोक्त निर्णय के बिंदु क्र. 2 एवं 3 अनुसार आपको सूचित किया जाता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्ष 2009 से 2018 तक बिना पर्यावरण स्वीकृति के किये गये उत्खन्न कार्यो से हुई पर्यावरण क्षति एवं पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण दिनांक 23.02.2018 के उपरांत प्रस्तुत छमाही अनुपालन प्रतिवेदनों के आधार पर किये गये कार्यो का स्थल निरीक्षण करवाये, यदि पर्यावरण स्वीकृति में निहित शर्तो का उल्लंघन किया गया है तो पर्यावरणीय क्षति का आंकलन कर SEIAA कार्यालय को अवगत कराये।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव